## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 511/2022
अनवान : –

1. राजेश पुत्र देवीलाल जाति नायक निवासी चक 28 एनटीआर तहसील नोहर ।

**– वादी**

**बनाम्**

1. श्री कृष्ण पुत्र रामचन्द्र जाति नायक निवासी सेन्टर जेल के पिछे सुतरगढ़।
2. कलावती पत्नी देवीलाल जाति नायक निवासी 28 एनडीआर तहसील हनुमानगढ़।
3. पारती पत्नी भादरराम जाति नायक निवासी अराईयावाली तहसील हनुमानगढ़।
4. बुधराम 5. मन्जु 6. सन्जु 7. बाधो पुत्र व पुत्रीयान भादरराम जाति नायक निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. मोहित उम्र 8 साल 9. रोहित उम्र 8 साल पि0 नितु पारती पुत्री भादरराम नाबालिग जरिये कुदरती बली पिता मोनू जाति नायक निवासी सेलेवाला तहसील टिब्बी।
10 मदनलाल पुत्र सुलतान जाति नायक निवासी भागसर तहसील विजयनगर।
11 माया पुत्री सुलतान पत्नी केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील विजयनगर
12 आत्माराम 13. लेखराम 14. जगदीश 15. ओमप्रकाश 16. प्रेमा 17. लीला
18. सन्तरो 19. सोना पुत्र व पुत्रीयान परमेश्वरी पत्नी कानाराम जाति नायक निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
20 रघुवीर 21. सोमनाथ 22. विनोद 23. सरोज 24. सन्तोष पुत्र पुत्री रेशमी पत्नी बनवारीलाल पुत्री रामचन्द्र जाति नायकक निवासी डबर तहसील अनुपगढ़।
25 महावीर 26. दुलीचन्द 27. राकेश पुत्र व पुत्री सावरी पत्नी कृष्ण पुत्री रामचन्द्र जाति नायक निवासी लालगढ़ तहसील सादुलशहर।
26 सिलोचना पुत्री रामचन्द्र पत्नी जगदीश पुत्री रामचन्द्र जाति नायक निवासी चोटीवाली ढाणी तहसील पिलीबंगा।
27 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**
**श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता प्रतिवादी**

**निर्णय** दिनांकः 26/08/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता सं. 186/178 के ख.न. 140/3 की 6.3230 हैक्टर भूमि वादी के दादा रामचन्द्र पुत्र मोटाराम जाति नायक निवासी मुन्सरी तहसील नोहर खातेदार कश्तकार थे।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी वादी के दादा रामचन्द्र पुत्र मोटाराम के नाम दर्ज है तथा वादी के दादा रामचन्द्र पुत्र मोटाराम फौत हो चुके है। ए वं वादी के पिता देवीलाल चाचा, भादरराम, सुल्तान भुआ, प्रमेश्वरी, रेशमी, सावत्री भी फौत हो चुकी है तथा बाद फौतदगी उपरोक्त कृषि भूमि के विधिक उतराधिका[illegible] सं. 1 ता 28 है एवं रामचन्द्र पुत्र मोटाराम जाति नायक की कृषि भू[illegible] हिस्सा है। रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता सं. 180/[illegible]/3 की 6.3230 है[illegible]मि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 3 ता 9 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10ता 11 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 ता 19 का 1/8

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:18:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

हिस्सा. प्रतिवादी सं. 20 ता 24 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 25 ता 27 का 1/8 हिस्सा. प्रतिवादी सं. 28 का 1/8 हिस्सा, के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 11 व 23 ता 28 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 11 व 23 ता 28 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 12 ता 19 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 22 की तरफ से अधिवक्ता श्री विजयसिंह कड़वासरा उपस्थित आकर जवाब दावा इस आशय का पेश किया की प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 24 को 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 की तरफ से श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता उपस्थित। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र आसीदेवी, परमेश्वरी, रेशमी, देवीलाल, सावित्री, नितु, रामचन्द्र, भादरराम पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त कृषि भूमि वादी वादी के दादा रामचन्द्र पुत्र मोटाराम के नाम दर्ज है तथा वादी के दादा रामचन्द्र पुत्र मोटाराम फौत हो चुके है एवं वादी के पिता देवीलाल चाचा, भादरराम, सुल्तान भुआ, प्रमेश्वरी, रेशमी, सावत्री भी फौत हो चुकी है तथा बाद फौतदगी उपरोक्त कृषि भूमि के विधिक उतराधिकारी वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 28 है एवं रामचन्द्र पुत्र मोटाराम जाति नायक की कृषि भूमि में उतराधिकारियों का हक व हिस्सा है। रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता सं. 180/178 के ख.न. 140/3 की 6.3230 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 3 ता 9 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10ता 11 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 ता 19 का 1/8 हिस्सा. प्रतिवादी सं. 20 ता 24 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 25 ता 27 का 1/8 हिस्सा. प्रतिवादी सं. 28 का 1/8 हिस्सा, के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण संख्या 2 व 12 ता 19 द्वारा वादी के वाद को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:18:10 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजाा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता स0 186/178 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि रामचन्द्र के नाम दर्ज है जो की वादी का दादा है रामचन्द्र पुत्र मोटाराम का देहान्त हो चुका है वादी के पिता देवीलाल चाचा, भादरराम, सुल्तान भुआ, प्रमेश्वरी, रेशमी, सावत्री भी फौत हो चुकी है तथा बाद फौतदगी उपरोक्त कृषि भूमि के विधिक उतराधिकारी वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 28 है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा एव वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार रामचन्द्र के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 12 ता 19 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक सहमति/नजरी नक्शा के अनुसार डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 2 व 12 ता 19 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता सं. 180/178 के ख.न. 140/3 की 6.3230 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 2 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 3 ता 9 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 ता 11 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 ता 19 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 20 ता 24 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 25 तो 27 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 28 को 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2025 को ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:18:10 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

## पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 511/2022

अनवान : –

1. राजेश पुत्र देवीलाल जाति नायक निवासी चक 28 एनटीआर तहसील नोहर ।

– वादी

**बनाम्**

1. श्री कृष्ण पुत्र रामचन्द्र जाति नायक निवासी सेन्टर जेल के पिछे सुतरगढ़।
2. कलावती पत्नी देवीलाल जाति नायक निवासी 28 एनडीआर तहसील हनुमानगढ़।
3. पारती पत्नी भादरराम जाति नायक निवासी अराईयावाली तहसील हनुमानगढ़।
4. बुधराम 5. मन्जु 6. सन्जु 7. बाधो पुत्र व पुत्रीयान भादरराम जाति नायक निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. मोहित उम्र 8 साल 9. रोहित उम्र 8 साल पि0 नितु पारती पुत्री भादरराम नाबालिग जरिये कुदरती बली पिता मोनू जाति नायक निवासी सेलेवाला तहसील टिब्बी।

10 मदनलाल पुत्र सुलतान जाति नायक निवासी भागसर तहसील विजयनगर।

11 माया पुत्री सुलतान पत्नी केसराराम जाति नायक निवासी भागसर तहसील विजयनगर

12 आत्माराम 13. लेखराम 14. जगदीश 15. ओमप्रकाश 16. प्रेमा 17. लीला

18. सन्तरो 19. सोना पुत्र व पुत्रीयान परमेश्वरी पत्नी कानाराम जाति नायक निवासी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

20 रघुवीर 21. सोमनाथ 22. विनोद 23. सरोज 24. सन्तोष पुत्र पुत्री रेशमी पत्नी बनवारीलाल पुत्री रामचन्द्र जाति नायक निवासी डबर तहसील अनुपगढ़।

25 महावीर 26. दुलीचन्द 27. राकेश पुत्र व पुत्री सावरी पत्नी कृष्ण पुत्री रामचन्द्र जाति नायक निवासी लालगढ़ तहसील सादुलशहर।

26 सिलोचना पुत्री रामचन्द्र पत्नी जगदीश पुत्री रामचन्द्र जाति नायक निवासी चोटीवाली ढाणी तहसील पिलीबंगा।

27 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 511 सन 2022 निर्णय दिनांक** 26/08/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी तहसील नोहर के खाता सं. 180/178 के ख.न. 140/3 की 6.3230 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 2 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 3 ता 9 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 ता 11 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 ता 19 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 20 ता 24 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 25 तो 27 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 28 को 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानु[illegible] व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन [illegible]

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/08/[illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:18:10 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर